

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND P.S.(थाना): KULLU Year(वर्ष): 2023
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0003 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 27/04/2023 08:21 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985	18

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Thursday Date From(दिनांक से): 27/04/2023 Date To(दिनांक तक): 27/04/2023
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 05:30 PM Time To (समय तक): 06:55 PM
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 27/04/2023 Time (समय): 07:05 PM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 019 Time (समय): 27/04/2023 08:01 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 73 Km(s) Beat No(बीट सं.):
(b) Address(पता): PAREND, GHAILYED, BANJAR, 175123
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): BANJAR (SERAJ) District(State)(ज़िला(राज्य)): KULLU(HIMACHAL PRADESH)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Ramnath
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 19/11/1966 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय): GOVT. OFFICIAL NON-GAZETTED

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-Pangi, PS-PANGI (KILLAR), DISTRICT-CHAMBA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-Kullu, PS:KULLU, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9418130448

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	DRUGS/NARCOTIC DRUGS	PLANT POD - POPPY	INVOLVED IN A CASE/CRIME	3000 POPPY PLANTS	

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय एक किता रुका निरीक्षक राम नाथ अन्वेषणाधिकारी थाना रा.स. एवं भ्र. रो. ब्यूरो कुल्लू द्वारा लिखित मन MHC थाना के मोबाईल फोन पर समय 7.05 वजे शाम Whatsapp के माध्यम से थाना में अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुआ है। जिसका मजबुत निम्न है। सेवा में प्रभारी थाना रा. स. एवं भ्र. रो. ब्यूरो कुल्लू जिला कुल्लू हि. प्र. महोदय, राजकीय कार्य के संदर्भ में निवेदन है कि आज Dt. 27-04-23 को मन निरीक्षक मय निरीक्षक ओमा ठाकुर, आरक्षी दुर्गा सिंह, आरक्षी राजेश कुमार, HHG कुर्मदत न0 7/2-74, HHG नरेश कुमार 7/1-39, HHG तीखु राम 7/5-55, HHG रेवत राम 7/1-43 मय हलका पटवारी Sh. राजेन्द्र कुमार निवासी गांव कमेडा P.O वठाहड त. वन्जार जिला कुल्लू के वाद फरागत मु0 न0 FIR NO. /23 Dtd. 27-4-23 u/s 18 of ND&PS Act के वतर्फ घलियाड की तरफ मौका पडैद से निचे को उतर रहे थे तो मुखवर खास द्वारा सूचना मिली कि यहां से कुछ दूरी पर निचे कि ओर एक सेव के वगीचा में भी किसी अजनवी व्यक्ति द्वारा अपनी मलकीयत भूमि में अवैध रूप से भारी मात्रा में अफीम की खेती कर रखी है। जो तुरन्त मौका पर पहुंचने पर आपको मौका पर मिल सकती है। देरी की सुरत में अवैध रूप से उगाई गई उक्त अफीम के पौधों के खुरद-वुर्द होने का पूर्ण अंदेश है। जो सूचना पकी होने पर पूर्व सूचना रिपोर्ट u/s 42 (II) ND&PS Act तैयार करके इसी वक्त समय 5.30 वजे शाम मो.फोन द्वारा जनाव SP साहब, SV&ACB Mandi से सम्पर्क किया गया तो इन्होंने वतलाया कि मैं इस समय कार-सरकार कार्य हेतु जिला हमीरपुर थाना SV&ACB Hamirpur में मौजूद है। इस समय Information वजिरया e-mail पूर्व सूचना रिपोर्ट मुझे भेजे और लिखित रिपोर्ट आईदां भेजे। मन निरीक्षक मय हमराहीयान व गवाह उपरोक्त के पडैद में FIR NO. /23 के मौके से करीव 200 मीटर निचे पहुंचा तो खुद व हमराही मुलाजमान के यहां पर मौजूद सेव वगीचा में अफीम के पौधों की तलाश करी गई तो एक खेत वगीचा सेव के बीच में अवैध रूप से अफीम की खेती करना पाई गई। जो हमराही गवाह हेत राम उपरोक्त व हलका पटवारी राजेन्द्र सिंह व आरक्षी दुर्गा सिंह को मौका का गवाह रख कर पटवारी से राजस्व रिकार्ड से इस वगीचा मालिक का नाम पता मालुम करने बारे पुछा तो इसने वतलाया कि इस वक्त मौका पर जो रिकार्ड मौजूद है इसे पता नहीं चल पा रहा है कि इस वगीचा खेत का मालिक राजस्व रिकार्ड में कौन है व गवाह हेत राम उपरोक्त से पुछ ताछ करने पर इसने इस वगीचा के मालिक के बारे में कोई भी जानकारी न होने की पुष्टि की है। मौक पर अजनवी / न मालुम जमीन मालिक के दवारा उगाई गई अफीम पौधों के गवाहन उपरोक्त के सामने मौका की Photography व Videography निजी कैमरा से करने के वाद खेत में वीजी गई अफीम पौधों की गिनती करने पर 3000

/- पाई गई। ओर इनकी लम्बाई करीव 1 ½ व 2 फुट के बीच पाई गई और कुछ पौधों में फूल निकलने वाले डोडे पाए गए परन्तु किसी भी पौधे में फूल लगना न पाए गए हैं। इस संदर्भ में एक पत्र जेरधारा 48 of ND&PS Act पौधों के नष्टीकरण का आदेश लेने हेतु तैयार करके जनाव SP SV&ACB Central ragne Mandi को e-mail द्वारा भेजा गया। असल दरखास्त आईदां भेजी जा रही है। जो SP साहब ने आदेश दिए कि मौका से अफीम पौधों के Sample गवाहों के सामने ले कर वाकि वची अफीम को मौका पर नष्ट कर दें। जो गवाहन उपरोक्त के सामने मौका से 25 पौधे अफीम जिनमें से कुछ में डोडे निकले हैं तथा कुछ में डोडे न है को उखाड कर जडो सहित एक अदद वोर प्लास्टिक सफेद जिस पर हरे रंग से 42/44 लिखा है। में डालकर वोर को उपर से एक सफेद धागा से बांध कर, वोर को मोहर 'K' की एक मोहर से सर्वमोहर किया नमूना मोहर 'K' चार अलग-2 टुकडा कपडों पर तीन-2 ली गई। वरामदा 25 अदद अफीम पौधे नमूना मोहर टुकडों पर गवाहन उपरोक्त ने अपने-2 हस्ताक्षर किये हैं। मौका पर फार्म NCB Triplicate -I के सम्बन्धित कॉलम पुर किए गए। मोहर वाद प्रयोग हवाले गवाह आरक्षी दुर्गा सिंह के करी गई। नमूना Sample वोरू, नमूना टुकडा मोहरों को मय फार्म NCB Triplicate -I के फर्द द्वारा वतौर वजह सवुत कब्जा में लिया गया। फर्द मौका पर तैयार करी गई। फर्द पर गवाहन ने अपने-2 हस्ताक्षर किए हैं। जो अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपनी मलकीयत भूमि सेव वगीचा में अवैध रूप से 3000 /- अफीम के पौधों की खेती करना पाई गई है। जिस पर जर्म जेर धारा 18 of ND&PS Act की जद में आना पाया जा कर e-mail द्वारा या WhatsApp द्वारा MHC थाना को मुकदमा पंजीकृत करने हेतु भेजा जा रहा है। असल रुका थाना में पहुंचने पर पेश किया जाएगा। मौका पर वची मांदा 2975 /- पौधे अफीम को गवाहन के सामने नष्ट किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत करके न0 मुकदमा से सूचित करें। मन निरीक्षक मय हमराहीयान व्यस्त वर मौका हूँ। Sd. Ram Nath Insp./I.O PS SV&ACB Kullu camp at पडैद Dtd.27-4-2023 at 6.55 p.m. व मुकाम पडैद (घलियाड) व फासला 73 KM अज थाना जानिव दक्षिण दिशा। कार्यवाही थाना:- WhatsApp के माध्यम से प्राप्त रुका को शब्द व शब्द लिखा गया जो FIR की जरूरी प्रतियां तैयार करके अदालत व अफसरान वाला की सेवा में भेजी जा रही है। मुकदमा विशेष नोईयत का है, लिहाजा FIR को ही विशेष रिपोर्ट तस्वर करने की कृपा करें। मिस्ल मुकदमा तैयार करके रखी गई जो निरीक्षक/ अन्वेषणाधिकारी राम नाथ के थाना

अभियोग संख्या वारे टैलीफोन के माध्यम से अन्वेषणाधिकारी निरीक्षक राम नाथ को सूचित किया जा रहा है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Ramnath

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): N/A

to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Ajay Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)